विदेशी मुद्रा गतिविधियां

सितंबर 2011

1. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II बैंकों तथा संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों द्वारा एजेंटों/फ्रेंचाइजीज की नियुक्ति-संशोधित दिशानिर्देश

यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 9 मार्च 2009 के ए.पी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं. 57{ए.पी.(एफएल/आरएल सिरीज) परिपत्र सं. 4} में निहित कतिपय अनुदेशों में संशोधन किया जाए। अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तनीय हैं।

पैराग्राफ सं. [09 मार्च 2009 के ए.पी.(डीआईआर सिरीज)परिपत्र सं.57[ए.पी.(एफएल/आरएल)सिरीज)परिपत्रसं.04] का संलग्नक। देखें]	**वर्तमान अनुदेश**	**संशोधित अनुदेश**
(सी) 3 (बी) - एजेंसी/ फ्रेंचाइजी करार	(बी) फ्रेंचाइजी द्वारा खरीदी गयी विदेशी मुद्रा, खरीद की तारीख से 7 कार्य दिवसों के भीतर फ्रेंचाइजर को अथवा किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति को, जैसा करार किया गया हो, सुपुर्द करनी चाहिए।	(बी) फ्रेंचाइजी द्वारा खरीदी गयी विदेशी मुद्रा, खरीद की तारीख से 7 कार्य दिवसों के भीतर केवल फ्रेंचाइजर को सुपुर्द करनी है।
(सी) 4 - एजेंट / फ्रेंचाइजी संबंधी समुचित सावधानी	प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I /प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II / संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक एजेंटों/फ्रेंचाइजियों के संबंध में समुचित सावधानी बरतते समय निम्नलिखित न्यूनतम जांच करें: • एजेंट /फ्रेंचाइजी की मौजूदा कारोबारी गतिविधियां / इस क्षेत्र में उनकी स्थिति। • एजेंट /फ्रेंचाइजी की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियां। • एजेंट /फ्रेंचाइजी के पक्ष में दुकान और संस्थापन (प्रतिष्ठान)/ अन्य लागू म्युनिसिपल प्रमाणन। • एजेंट /फ्रेंचाइजी के उस वास्तविक स्थान का सत्यापन, जहां सीमित मुद्रा परिवर्तन कारोबार किया जाएगा। • स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों से एजेंट /फ्रेंचाइजी का आचरण संबंधी प्रमाणपत्र। • कानून लागू करनेवाली एजेंसी, यदि कोई हो, द्वारा एजेंट /फ्रेंचाइजी अथवा उसके निदेशकों/भागीदारों के विरुध्द चलाये गये / लंबित पिछले आपराधिक मामले, यदि कोई हों, संबंधी घोषणापत्र। • एजेंट /फ्रेंचाइजी और उसके निदेशकों/भागीदारों के पैन कार्ड। • एजेंट /फ्रेंचाइजी के निदेशकों/भागीदारों और मुख्य व्यक्तियों (कार्मिकों)के फोटोग्राफ्स। उपर्युक्त जांच	प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I /प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-II / संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक एजेंटों/फ्रेंचाइजियों के संबंध में समुचित सावधानी बरतते समय निम्नलिखित न्यूनतम जांच करें: • एजेंट /फ्रेंचाइजी की मौजूदा कारोबारी गतिविधियां / इस क्षेत्र में उनकी स्थिति। • एजेंट /फ्रेंचाइजी की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियां। • एजेंट /फ्रेंचाइजी के पक्ष में दुकान और संस्थापन (प्रतिष्ठान) / अन्य लागू म्युनिसिपल प्रमाणन। • एजेंट /फ्रेंचाइजी के वास्तविक उस स्थान का सत्यापन, जहां सीमित मुद्रा परिवर्तन कारोबार किया जाएगा। • स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों से एजेंट /फ्रेंचाइजी का आचरण संबंधी प्रमाणपत्र। **टिप्पणी:- फ्रेंचाइजर के लिए स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों से एजेंट /फ्रेंचाइजी के आचरण संबंधी प्रमाणपत्र की प्राप्ति वैकल्पिक शर्त है। तथापि, फ्रेंचाइजर ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं, जिनके विरूध्द कानून लागू करनेवाली एजेंसी द्वारा मामला दर्ज किया गया हो/कार्यवाही की जा रही हो/कार्यवाही अनिर्णीत हो, की फ्रेंचाइजी के रूप में नियुक्ति करने से बचने के लिए यथोचित सावधानी बरतें।** • कानून लागू करनेवाली एजेंसी, यदि कोई हो, द्वारा एजेंट / फ्रेंचाइजी अथवा उसके निदेशकों/भागीदारों के विरुध्द चलाये

	नियमित आधार पर वर्ष में कम से कम एक बार की जाए। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। / प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।। /संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को एजेंट /फ्रेंचाइजी के कार्य स्थल पर व्यक्तिगत रुप से दौरा करके की गयी पुष्टि के अतिरिक्त उनके कार्य स्थल की पुष्टि करनेवाले यथोचित दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करने चाहिए। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। / प्राधिकृत व्यापारीश्रेणी-।। /संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को एजेंट /फ्रेंचाइजी की निवल स्वाधिकृत निधियों अर्थात् निरंतर आधार पर रुपये 10 लाख बनाये रखने की पुष्टि करनेवाला सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र भी प्राप्त करना चाहिए।	गये /लंबित पिछले आपराधिक मामले, यदि कोई हो, संबंधी घोषणापत्र। • एजेंट/फ्रेंचाइजी और उसके निदेशकों/भागीदारों के पैन कार्ड। • एजेंट/फ्रेंचाइजी के निदेशकों/भागीदारों और मुख्य व्यक्तियों(कार्मिकों) के फोटोग्राफ्स। उपर्युक्त जांच नियमित आधार पर वर्ष में कम से कम एक बार की जाए। प्राधिकृत व्यापारीश्रेणी-।/प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी।। /संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को एजेंट /फ्रेंचाइजी के कार्य स्थल पर व्यक्तिगत रुप से दौरा करके पुष्टि करने के अतिरिक्त उनके कार्य स्थल की पुष्टि करनेवाले यथोचित दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करने चाहिए। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।/प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।। /संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को एजेंट /फ्रेंचाइजी की निवल स्वाधिकृत निधियों अर्थात् निरंतर आधार पर रुपये 10 लाख बनाये रखने की पुष्टि करनेवाला सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र भी प्राप्त करना चाहिए।
(सी) 5. केंद्रों का चयन	फ्रेंचाइजर योजना परिचालित करने के लिए केंद्रों का चयन के लिए स्वतंत्र हैं।	(i)प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। / प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।। /संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक अपनी संबंधित नियंत्रक शाखाओं से 100 किमी की दूरी के भीतर फ्रेंचाइजीज की नियुक्ति करें। (ii) तथापि, फ्रेंचाइजीज के रूप में नियुक्त किसी मान्यताप्राप्त समूह/होटलों की श्रृंखला के मामले में दूरी संबंधी मानदंड से छूट दी जा सकती है, बशर्ते समूह/होटलों की श्रृंखला का मुख्यालय संबंधित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। / प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।। /संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक (फ्रेंचाइजर) की नियंत्रक शाखा से 100 किमी की दूरी के भीतर आता हो। (iii) इसके अलावा, पर्वतीय क्षेत्र (संबंधित राज्य सरकार/ केंद्र शासित प्रदेश द्वारा तथा परिभाषित) के रूप में घोषित क्षेत्रों और उत्तर-पूर्वी राज्यों के मामले में, उपर्युक्त मद (i) में दिया गया दूरी का प्रतिबंध लागू नहीं है। **टिप्पणी:- प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। / प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।। /संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक तत्काल प्रभाव से नये फ्रेंचाइजीज के लिए संशोधित दिशानिर्देशों का पालन करें। वे मौजूदा फ्रेंचाइजीज के लिए उपर्युक्त मानदंडों को यथा शीघ्र, किंतु अधिकतम 31 दिसंबर 2011 तक लागू करें तथा उसकी जानकारी रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें।**
(ई) 10 विदेशी मुद्रा शेष	ii. आरएमसीज /फ्रेंचाइजी, खरीदे गये विदेशी मुद्रा नोट, सिक्के और यात्री चेक, प्राधिकृत व्यापारी अथवा संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक के पास 7 कार्य-दिवसों के भीतर जमा करें।	ii. फ्रेंचाइजीज खरीदे गये विदेशी मुद्रा नोट, सिक्के और यात्री चेक, **केवल अपने फ्रेंचाइजर के पास** 7 कार्य-दिवसों के भीतर जमा करें।

[ए.पी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.31, दिनांक 03 अक्तूबर 2011]

2. निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना - पुनरीक्षित आवेदन पत्र सह घोषणा फार्म

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी। (प्रा.व्या.श्रेणी।) बैंकों का ध्यान 8 मई 2007 के ए.पी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.51 के संलग्नक की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत विदेशी मुद्रा के क्रय के बाबत आवेदन पत्र सह घोषणा फार्म दिया गया है।

16 सितंबर 2011 के ए.पी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.17 तथा 18 के अनुसार निवासी व्यक्तियों द्वारा कतिपय 'शर्तों' के तहत घनिष्ठ रिश्तेदार अनिवासी भारतीय/ भारतीय मूल के व्यक्ति को रुपए में उपहार/ऋण देने की अनुमति दी गयी है। उनमें से एक शर्त यह है कि निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत प्रति वित्तीय वर्ष उपहार/ऋण देने की समग्र सीमा 200,000 अमरीकी डालर के अंतर्गत होनी चाहिए। तदनुसार, उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत विदेशी मुद्रा के क्रय के लिए पुनरीक्षित आवेदन पत्र सह घोषणा फार्म संलग्न है।

[ए.पी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.32
दिनांक 10 अक्तूबर 2011]

3. मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधियों (कार्यों) को नियंत्रित करने वाले अनुदेशों का ज्ञापन

यह निर्णय लिया गया है कि 9 मार्च 2009 के ए.पी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.57 [ए.पी.(एफएल/आरएल सिरीज) परिपत्र सं.4] में मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले अनुदेशों के ज्ञापन के अनुबंध I के भाग 'ए' और 'ई' में अंतर्विष्ट कतिपय अनुदेशों में संशोधन किया जाए। अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तनीय हैं।

[12 अक्तूबर 2011 के ए.पी.(डीआईआर सिरीज)परिपत्र सं.33 का संलग्नक पैराग्राफ सं. [9 मार्च 2009 के ए.पी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.57 {ए.पी.(एफएल/आरएल सिरीज) परिपत्र सं.4} का संलग्नक I देखें]	**पिछले दिशानिर्देश**	**संशोधित दिशानिर्देश**
भाग 'ए' के अंत में नोट	**[नोट:- संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक के रूप में कार्य करने के लिए शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबीज़) को नए प्राधिकार जारी नहीं किए जाएंगे।]**	**नोट: पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले शहरी सहकारी बैंकों को प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी।/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - II के रूप में ही प्राधिकार देने पर विचार किया जाएगा।**
भाग ई-6- भारतीय मुद्रा के पुन:परिवर्तन के बदले बिक्री	**नोट (2):** प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी। और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी निम्नलिखित दस्तावेजों के आधार पर एटीएम रसीद के बदले विदेशी पर्यटकों (न कि अनिवासी भारतीयों को) को रु.50,000/- की सीमा तक भारतीय रुपए के पुन:परिवर्तन की सुविधा दे सकते हैं। • वैध पासपोर्ट और वीसा • 7 दिनों के भीतर देश से प्रस्थान के लिए पक्का टिकट • मूल एटीएम स्लिप (मूल डेबिट/क्रेडिट कार्ड से सत्यापित की जाए।)	**नोट (2):** प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी II और संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक निम्नलिखित दस्तावेजों के आधार पर एटीएम रसीद के बदले विदेशी पर्यटकों (न कि अनिवासी भारतीयों को) को रु.50,000/- की सीमा तक भारतीय रुपए के पुन:परिवर्तन की सुविधा दे सकते हैं। • वैध पासपोर्ट और वीसा • 7 दिनों के भीतर देश से प्रस्थान के लिए पक्का टिकट • मूल एटीएम स्लिप (मूल डेबिट/क्रेडिट कार्ड से सत्यापित की जाए।)

[ए.पी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.33 12 अक्तूबर 2011]

4. रिपब्लिक ऑफ सेनेगल की सरकार को एक्जिम बैंक की 27.50 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) ने रिपब्लिक ऑफ सेनेगल की सरकार को सेनेगल में ग्रामीण इलेक्ट्रिफिकेशन परियोजना के वित्तपोषण के प्रयोजन के लिए भारत से निर्यात की जाने वाली सुयोग्य वस्तुओं और सेवाओं, मशीनरी और उपकरण के वित्तपोषण के लिए 27.50 मिलियन अमरीकी डॉलर (सताईस मिलियन और पांच सौ हजार अमरीकी डॉलर) की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए 21 अप्रैल 2011 को एक करार किया है।

2. ऋण सहायता के अंतर्गत यह ऋण करार 24 अगस्त 2011 को लागू हो गया है और इस करार के निष्पादन की तारीख 21 अप्रैल 2011 है। इस ऋण सहायता के तहत, परियोजना निर्यात के मामले में साख पत्र खोलने तथा संवितरण की अंतिम तारीख संविदा (संविदाएं) पूर्ण होने की निर्धारित तारीख (तारीखों) से 48 माह और आपूर्ति संविदा के मामले में करार निष्पादन की तारीख से 72 माह (20 अप्रैल 2017) होगी।

[ए.पी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.34,
14 अक्तूबर 2011]

5. आनलाइन पेमेंट गेटवेज़ द्वारा निर्यात संबंधी प्राप्तियों की प्रोसेसिंग और भुगतान (निपटान) की सुविधा - लेनदेन की राशि के मूल्य में बढ़ोत्तरी

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। (प्रा.व्या.श्रेणी ।) बैंकों का ध्यान 16 नवंबर 2010 केएपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 17 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों को उक्त परिपत्र में विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत आनलाइन पेमेंट गेटवे सेवा प्रदाताओं के साथ स्थायी व्यवस्था (के करार) के तहत निर्यात संबंधी विप्रेषणों के प्रत्यावर्तन की सुविधा का प्रस्ताव करने (देने) की अनुमति दी गयी है।

निर्यातकों द्वारा लेनदेन संबंधी 500 अमरीकी डालर के मूल्य में उचित वृध्दि करने के प्राप्त अनुरोधों के संबंध में मौजूदा अनुदेशों की समीक्षा की गयी है । तदनुसार अब यह निर्णय लिया गया है कि आनलाइन पेमेंट गेटवे सेवा प्रदाताओं के मार्फत प्राप्त निर्यात विप्रेषणों के प्रति लेनदेन के 500 अमरीकी डालर के मूल्य को बढ़ाकर 3000 अमरीकी डालर कर दिया जाए । पुनरीक्षित निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। अन्य सभी नियम व शर्तें अपरिवर्तित हैं।

[ए.पी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.35,
14 अक्तूबर 2011]

6. विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के तहत किसी मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में खाता खोलना - उदारीकरण

प्राधिकृत व्यापारी बैंकों का ध्यान समय-समय पर यथा संशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना फेमा-14/2000-आरबी अर्थात् विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2000 के साथ पठित समय समय पर यथा संशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा 5/2000-आरबी अर्थात विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 की अनुसूची 2 के पैराग्राफ 2 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर नामित अनुमत मुद्राओं (करेंसी) में निधियां विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के तहत खाते में जमा के रूप में स्वीकार की जा सकती हैं। संप्रति पौंड स्टर्लिंग, अमरीकी डालर, जापानी येन, यूरो, कनाडा के डालर और आस्ट्रेलिया के डालर रिज़र्व बैंक द्वारा एतदर्थ नामित मुद्राएं हैं।

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत व्यक्तियों को उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा करने के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के तहत किसी भी मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में खाता खोलने की अनुमति दी जा सकती है। समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि भारत में प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को एफसीएनआर (बी) खाते में किसी भी अनुमत मुद्रा में जमाराशियां स्वीकार करने की अनुमति दी जाए। इस संबंध में यह नोट किया जाए कि इस प्रयोजन के लिए 'अनुमत मुद्रा' का अर्थ उस विदेशी मुद्रा से है जो मुक्त रूप में परिवर्तनीय है जैसाकि समय समय पर यथा संशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना फेमा सं. 14/2000-आरबी के विनियम 2 (v) में परिभाषित है।

[ए.पी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.36,

19 अक्तूबर 2011]

7. (i) स्थायी रूप से भारत में निवास करने के लिए लौटे अनिवासी भारतीयों की विदेश में हुई आय एवं विदेश स्थित उनकी परिसंपत्तियों की बिक्री से हुई आमदनी का प्रत्यावर्तन

(ii) उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत विप्रेषणों द्वारा विदेशों से हुई आय और विदेश में अर्जित परिसंपत्तियों की बिक्रीगत आमदनी का प्रत्यावर्तन - स्पष्टीकरण

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत व्यक्तियों को सुलभ सुविधाओं की समीक्षा करने के लिए गठित समिति ने अपनी

रिपोर्ट में सिफारिश की है कि इस आशय का स्पष्टीकरण देने की जरूरत है कि भारत में स्थायी निवास के लिए लौटे अनिवासी भारतीयों की विदेश में हुई आय तथा विदेश स्थित परिसंपत्तियों की बिक्रीगत आमदनी तथा उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत विप्रेषित राशि से विदेश में हुई आय और विदेश में अर्जित परिसंपत्तियों की बिक्रीगत आमदनी को प्रत्यावर्तित करने की आवश्यकता नहीं है।

तदनुसार, इसे निम्नवत स्पष्ट किया जाता है:

(क) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा (6) की उप धारा 4 के अनुसार भारत में निवास करने वाला कोई व्यक्ति भारत से बाहर विदेशी मुद्रा (करेंसी), विदेशी प्रतिभूति या अचल संपत्ति को धारण कर सकता है, स्वामित्व में ले सकता है, का अंतरण कर सकता है अथवा उसमें **निवेश** कर सकता है यदि ऐसी विदेशी मुद्रा (करेंसी), प्रतिभूति या संपत्ति का अर्जन, धारण, स्वामित्व में लेना उस व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर निवास के दौरान किया गया हो या भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति से उसे ये उत्तराधिकार में प्राप्त हुई हों।

(ख) उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत किए गए निवेश से हुई आय को विदेश में रख सकता है या पुनर्निवेश कर सकता है।

[ए.पी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.37, 19 अक्तूबर 2011]

8. मुद्रा परिवर्तन गतिविधियों को विनियमित करने वाले अनुदेशों का ज्ञापन - भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेशी मुद्रा काउंटरों का स्थान

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंकों, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - II एवं संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों द्वारा भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर घरेलू टैरिफ (शुल्क) क्षेत्र से बाहर खोले गये विदेशी मुद्रा विनियम काउंटरों (पूर्ण शाखाएं/विस्तार पटल) के अनुपालन से संबंधित समीक्षा करने पर निम्नवत निर्णय लिया गया है :-

(क) अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के आगमन हाल में सीमा शुल्क डेस्क (ग्रीन चैनल/रेड चैनल) के बाद आदर्श रूप में विदेशी मुद्रा विनियम काउंटर स्थापित किए जा सकते हैं। हालंकि भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में पारगमन (इमीग्रेशन) डेस्क और सीमा शुल्क डेस्क के बीच में भी विदेशी मुद्रा विनियम काउंटर स्थापित किए जा सकते हैं बशर्ते इन काउंटरों पर केवल विदेशी मुद्रा की खरीद तथा भारतीय रुपए की बिक्री की जाए तथा मुद्रा परिवर्तक ग्राहकों को अनिवार्यतः 'नकदीकरण प्रमाणपत्र' जारी किए जाएं।

(ख) इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के प्रस्थान हाल में सीमा शुल्क डेस्क या पारगमन डेस्क में से जो भी पहले हो, उससे पहले विदेशी मुद्रा विनियम काउंटर स्थापित किए जाएंगे। इस काउंटरों पर यात्रियों को स्मरण कराने के लिए उचित डिस्प्ले दर्शाया जाए कि अनिवासी व्यक्ति भारतीय रुपए को यहीं तक अपने पास रख सकते हैं, एतदर्थ हवाई अड्डा प्राधिकरण/प्राधिकारियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जाए।

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंकों, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I एवं संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों के विदेशी मुद्रा विनियम काउंटर जो उक्त अनुदेशों के अनुसार नहीं हैं, वे उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार अपने काउंटरों को सही स्थान पर अधिकतम **31 दिसंबर 2011** तक स्थापित करें।

[ए.पी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.38, 25 अक्तूबर 2011]

1 प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।। बैंकों तथा संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों द्वारा एजेंटों/फ्रेंचाइजीज की नियुक्ति-संशोधित दिशानिर्देश

अनुबंध

यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 9 मार्च 2009 के ए.पी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं. 57{ए.पी.(एफएल/आरएल सिरीज) परिपत्र सं. 4} में निहित कतिपय अनुदेशों में संशोधन किया जाए। संशोधित अनुदेश अनुबंध में दिए गए हैं। अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तनीय हैं।

पैराग्राफ सं. [09 मार्च 2009 के ए.पी.(डीआईआर सिरीज)परिपत्र सं.57[ए.पी.(एफएल/आरएल)सिरीज)परिपत्रसं.04] का संलग्नक I देखें]	**वर्तमान अनुदेश**	**संशोधित अनुदेश**
(सी) 3 (बी) - एजेंसी/ फ्रेंचाइजी करार	(बी) फ्रेंचाइजी द्वारा खरीदी गयी विदेशी मुद्रा, खरीद की तारीख से 7 कार्य दिवसों के भीतर फ्रेंचाइजर को अथवा किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति को, जैसा करार किया गया हो, सुपुर्द करनी चाहिए।	(बी) फ्रेंचाइजी द्वारा खरीदी गयी विदेशी मुद्रा, खरीद की तारीख से 7 कार्य दिवसों के भीतर केवल फ्रेंचाइजर को सुपुर्द करनी है।
(सी) 4 - एजेंट / फ्रेंचाइजी संबंधी समुचित सावधानी	प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। /प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।। / संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक एजेंटों/ फ्रेंचाइजियों के संबंध में समुचित सावधानी बरतते समय निम्नलिखित न्यूनतम जांच करें: • एजेंट /फ्रेंचाइजी की मौजूदा कारोबारी गतिविधियां / इस क्षेत्र में उनकी स्थिति। • एजेंट /फ्रेंचाइजी की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियां। • एजेंट /फ्रेंचाइजी के पक्ष में दुकान और संस्थापन (प्रतिष्ठान)/ अन्य लागू म्युनिसिपल प्रमाणन। • एजेंट /फ्रेंचाइजी के उस वास्तविक स्थान का सत्यापन, जहां सीमित मुद्रा परिवर्तन कारोबार किया जाएगा। • स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों से एजेंट /फ्रेंचाइजी का आचरण संबंधी प्रमाणपत्र। • कानून लागू करनेवाली एजेंसी, यदि कोई हो, द्वारा एजेंट /फ्रेंचाइजी अथवा उसके निदेशकों/ भागीदारों के विरुध्द चलाये गये / लंबित पिछले आपराधिक मामले, यदि कोई हों, संबंधी घोषणापत्र।	प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। /प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।। /संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक एजेंटों/फ्रेंचाइजियों के संबंध में समुचित सावधानी बरतते समय निम्नलिखित न्यूनतम जांच करें: • एजेंट /फ्रेंचाइजी की मौजूदा कारोबारी गतिविधियां / इस क्षेत्र में उनकी स्थिति। • एजेंट /फ्रेंचाइजी की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियां। • एजेंट /फ्रेंचाइजी के पक्ष में दुकान और संस्थापन (प्रतिष्ठान) / अन्य लागू म्युनिसिपल प्रमाणन। • एजेंट /फ्रेंचाइजी के वास्तविक उस स्थान का सत्यापन, जहां सीमित मुद्रा परिवर्तन कारोबार किया जाएगा। • स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों से एजेंट /फ्रेंचाइजी का आचरण संबंधी प्रमाणपत्र। **टिप्पणी:- फ्रेंचाइजर के लिए स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों से एजेंट /फ्रेंचाइजी के आचरण संबंधी प्रमाणपत्र की प्राप्ति वैकल्पिक शर्त है। तथापि, फ्रेंचाइजर ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं, जिनके विरूध्द कानून लागू करनेवाली एजेंसी द्वारा मामला दर्ज किया गया हो/कार्यवाही की जा रही हो/कार्यवाही अनिर्णीत हो, की फ्रेंचाइजी के रूप में नियुक्ति करने से बचने के लिए यथोचित सावधानी बरतें।**

	• एजेंट /फ्रेंचाइजी और उसके निदेशकों/भागीदारों के पैन कार्ड। • एजेंट /फ्रेंचाइजी के निदेशकों/भागीदारों और मुख्य व्यक्तियों (कार्मिकों)के फोटोग्राफ्स। उपर्युक्त जांच नियमित आधार पर वर्ष में कम से कम एक बार की जाए। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। / प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। । /संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को एजेंट /फ्रेंचाइजी के कार्य स्थल पर व्यक्तिगत रुप से दौरा करके की गयी पुष्टि के अतिरिक्त उनके कार्य स्थल की पुष्टि करनेवाले यथोचित दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करने चाहिए। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। / प्राधिकृत व्यापारीश्रेणी-। । /संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को एजेंट /फ्रेंचाइजी की निवल स्वाधिकृत निधियों अर्थात् निरंतर आधार पर रुपये 10 लाख बनाये रखने की पुष्टि करनेवाला सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र भी प्राप्त करना चाहिए।	• कानून लागू करनेवाली एजेंसी, यदि कोई हो, द्वारा एजेंट / फ्रेंचाइजी अथवा उसके निदेशकों/भागीदारों के विरुध्द चलाये गये /लंबित पिछले आपराधिक मामले, यदि कोई हो, संबंधी घोषणापत्र। • एजेंट/फ्रेंचाइजी और उसके निदेशकों/भागीदारों के पैन कार्ड। • एजेंट/फ्रेंचाइजी के निदेशकों/भागीदारों और मुख्य व्यक्तियों(कार्मिकों) के फोटोग्राफ्स। उपर्युक्त जांच नियमित आधार पर वर्ष में कम से कम एक बार की जाए। प्राधिकृत व्यापारीश्रेणी-।/प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी।। /संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को एजेंट /फ्रेंचाइजी के कार्य स्थल पर व्यक्तिगत रुप से दौरा करके पुष्टि करने के अतिरिक्त उनके कार्य स्थल की पुष्टि करनेवाले यथोचित दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करने चाहिए। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।/प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।। /संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को एजेंट /फ्रेंचाइजी की निवल स्वाधिकृत निधियों अर्थात् निरंतर आधार पर रुपये 10 लाख बनाये रखने की पुष्टि करनेवाला सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र भी प्राप्त करना चाहिए।
(सी) 5. केंद्रों का चयन	फ्रेंचाइजर योजना परिचालित करने के लिए केंद्रों का चयन के लिए स्वतंत्र हैं।	(i)प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। / प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। । /संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक अपनी संबंधित नियंत्रक शाखाओं से 100 किमी की दूरी के भीतर फ्रेंचाइजीज की नियुक्ति करें। (ii) तथापि, फ्रेंचाइजीज के रूप में नियुक्त किसी मान्यताप्राप्त समूह/होटलों की श्रृंखला के मामले में दूरी संबंधी मानदंड से छूट दी जा सकती है, बशर्ते समूह/होटलों की श्रृंखला का मुख्यालय संबंधित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। / प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।। /संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक (फ्रेंचाइजर) की नियंत्रक शाखा से 100 किमी की दूरी के भीतर आता हो। (iii) इसके अलावा, पर्वतीय क्षेत्र (संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा तथा परिभाषित) के रूप में घोषित क्षेत्रों और उत्तर-पूर्वी राज्यों के मामले में, उपर्युक्त मद (i) में दिया गया दूरी का प्रतिबंध लागू नहीं है। **टिप्पणी:- प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। / प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। । /संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक तत्काल प्रभाव से नये फ्रेंचाइजीज के लिए संशोधित दिशानिर्देशों का पालन करें। वे मौजूदा फ्रेंचाइजीज के लिए उपर्युक्त मानदंडों को यथा शीघ्र, किंतु अधिकतम 31 दिसंबर 2011 तक लागू करें तथा उसकी जानकारी रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें।**

(ई) 10 विदेशी मुद्रा शेष	ii. आरएमसीज /फ्रेंचाइजी, खरीदे गये विदेशी मुद्रा नोट, सिक्के और यात्री चेक, प्राधिकृत व्यापारी अथवा संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक के पास 7 कार्य-दिवसों के भीतर जमा करें।	ii. फ्रेंचाइजीज खरीदे गये विदेशी मुद्रा नोट, सिक्के और यात्री चेक, **केवल अपने फ्रेंचाइजर के पास** 7 कार्य-दिवसों के भीतर जमा करें।

[ए.पी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.31, 03 अक्तूबर 2011]

2. निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना - पुनरीक्षित आवेदन पत्र सह घोषणा फार्म

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी। (प्रा.व्या.श्रेणी।) बैंकों का ध्यान 8 मई 2007 के ए.पी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.51 के संलग्नक की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत विदेशी मुद्रा के क्रय के बाबत आवेदन पत्र सह घोषणा फार्म दिया गया है।

16 सितंबर 2011 के ए.पी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.17 तथा 18 के अनुसार निवासी व्यक्तियों द्वारा कतिपय 'शर्तों' के तहत घनिष्ठ रिश्तेदार अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति को रुपए में उपहार/ऋण देने की अनुमति दी गयी है। उनमें से एक शर्त यह है कि निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत प्रति वित्तीय वर्ष उपहार/ऋण देने की समग्र सीमा 200,000 अमरीकी डालर के अंतर्गत होनी चाहिए। तदनुसार, उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत विदेशी मुद्रा के क्रय के लिए पुनरीक्षित आवेदन पत्र सह घोषणा फार्म संलग्न है।

संलग्नक

[10 अक्तूबर 2011 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं.32 का संलग्नक]

निवासी व्यक्तियों के लिए 200,000 अमरीकी डालर की उदारीकृत विप्रेषण योजनागत विदेशी मुद्रा के क्रय के लिए आवेदन पत्र सह घोषणा फार्म

(आवेदक द्वारा भरा जाए)

I. आवेदक के ब्योरे

ए. नाम ----------

बी. पता ----------

सी. खाता सं. ----------

डी. पैन सं. ----------

II. अपेक्षित विदेशी मुद्रा के ब्योरे

1. राशि (करेंसी का उल्लेख करें)----------
2. प्रयोजन----------

III. निधियों के स्रोत ----------

IV. लिखत का स्वरूप

ड्राफ्ट ----------

प्रत्यक्ष/सीधे विप्रेषण ----------

V. वित्तीय वर्ष (अप्रैल- मार्च) 20..-20.. के दौरान इस योजना के अंतर्गत किए गए विप्रेषण के ब्योरे

तारीखः ---------- राशिः ----------

VI. लाभार्थी (पाने वाले) का नाम

1. नाम ----------
2. पता ----------
3. देश ----------

4.* बैंक का नाम एवं पता ----------

5.* खाता सं. ----------

(* जब विप्रेषणीय राशि लाभार्थी (पाने वाले) के बैंक खाते में ही सीधे जमा होनी है)

उल्लेखानुसार विदेशी मुद्रा में विप्रेषण/ड्राफ्ट जारी करने के लिए आपको मेरे खाते को नामे करने के लिए अधिकृत किया जाता है (जो लागू न हो, उसे काट दें)

घोषणा

मैं,---------- (नाम) एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि आवेदन पत्र की मद सं. V के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान अनिवासी घनिष्ठ रिश्तेदार (रों) के अनिवासी साधारण खाते में स्वया ऋण या उपहार के तौर पर जमा की गयी राशि सहित भारत में सभी स्रोतों से क्रय की गयी या विप्रेषित विदेशी मुद्रा की कुल राशि 200,000 अमरीकी डॅलर (दो लाख अमरीकी डालर मात्र) की सीमा, जो कि रिज़र्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट सीमा है, के भीतर है और यह भी प्रमाणित करता हूँ/करती हूं कि विप्रेषित राशि मेरी है और उसका उपयोग प्रतिबंधित प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाएगा।

आवेदक के हस्ताक्षर
(नाम----------)

प्राधिकृत व्यापारी द्वारा प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विप्रेषण अपात्र कंपनियों (इंटिटीज़) द्वारा/ को नहीं किया गया है और यह कि विप्रेषण समय समय पर इस योजना के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों के अनुरूप है।

अधिकृत अधिकारी का नाम और पदनामः-

स्थानः-

हस्ताक्षरः-

दिनांकः मुहर और सील

[ए.पी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.32,
10 अक्तूबर 2011]

3. मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधियों (कार्यों) को नियंत्रित करने वाले अनुदेशों का ज्ञापन

प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान 9 मार्च 2009 के ए.पी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं. 57[ए.पी.(एफएल/आरएल सिरीज) परिपत्र सं. 4] में मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले अनुदेशों के ज्ञापन के अनुबंध I के भाग 'ए' और 'ई' की ओर आकृष्ट किया जाता है।

यह निर्णय लिया गया है कि उल्लिखित भागों में अंतर्विष्ट कतिपय अनुदेशों में संशोधन किया जाए। संशोधित अनुदेश संलग्नक में दिये गये हैं। अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तनीय हैं।

संलग्नक

**[12 अक्तूबर 2011 के ए.पी.(डीआईआर सिरीज)
परिपत्र सं.33 का संलग्नक]**

[9 मार्च 2009 के ए.पी. (डीआईआर सरीज)परिपत्र सं.57 (ए.पी.(एफएल/ आरएल सिरीज) परिपत्र सं.4 का संलग्नक) देखें।	**पिछले दिशानिर्देश**	**संशोधित दिशानिर्देश**

भाग 'ए' के अंत में नोट	**[नोट:- संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक के रूप में कार्य करने के लिए शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबीज़) को नए प्राधिकार जारी नहीं किए जाएंगे।]**	**नोट: पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले शहरी सहकारी बैंकों को प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी।/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - II के रूप में ही प्राधिकार देने पर विचार किया जाएगा।**
भाग ई-6- भारतीय मुद्रा के पुन:परिवर्तन के बदलें बिक्री	**नोट (2):** प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी। और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी निम्नलिखित दस्तावेजों के आधार पर एटीएम रसीद के बदले विदेशी पर्यटकों (न कि अनिवासी भारतीयों को) को रु.50,000/- की सीमा तक भारतीय रुपए के पुनःपरिवर्तन की सुविधा दे सकते हैं। • वैध पासपोर्ट और वीसा • 7 दिनों के भीतर देश से प्रस्थान के लिए पक्का टिकट • मूल एटीएम स्लिप (मूल डेबिट/क्रेडिट कार्ड से सत्यापित की जाए।)	**नोट (2):** प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी II और संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक निम्नलिखित दस्तावेजों के आधार पर एटीएम रसीद के बदले विदेशी पर्यटकों (न कि अनिवासी भारतीयों को) को रु.50,000/- की सीमा तक भारतीय रुपए के पुनःपरिवर्तन की सुविधा दे सकते हैं। • वैध पासपोर्ट और वीसा • 7 दिनों के भीतर देश से प्रस्थान के लिए पक्का टिकट • मूल एटीएम स्लिप (मूल डेबिट/क्रेडिट कार्ड से सत्यापित की जाए।)

4. रिपब्लिक ऑफ सेनेगल की सरकार को एक्जिम बैंक की 27.50 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने रिपब्लिक ऑफ सेनेगल की सरकार को सेनेगल में ग्रामीण इलेक्ट्रिफिकेशन परियोजना के वित्तपोषण के प्रयोजन के लिए भारत से निर्यात की जाने वाली सुयोग्य वस्तुओं और सेवाओं, मशीनरी और उपकरण के वित्तपोषण के लिए 27.50 मिलियन अमरीकी डॉलर (सताईस मिलियन और पांच सौ हजार अमरीकी डॉलर) की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए 21 अप्रैल 2011 को एक करार किया है। इस करार के तहत भारत से निर्यात की जानेवाली सेवाओं में, परामर्शदात्री सेवाओं सहित वे वस्तुयें, सेवाएं शामिल हैं जो कि भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए सुयोग्य हैं और जिनकी खरीद के लिए एक्जिम बैंक द्वारा वित्तपोषण किया जाना अनुमत है। इस करार के तहत एक्जिम बैंक द्वारा दिए जाने वाले कुल ऋण में से संविदागत वस्तुओं और परामर्शदात्री सेवाओं सहित सेवाओं के कम से कम 75 प्रतिशत मूल्य की आपूर्ति भारत के विक्रेताओं द्वारा की जाएगी और शेष 25 प्रतिशत मूल्य की वस्तुएं और सेवाए (परामर्शदात्री सेवाओं को छोड़कर) सुयोग्य संविदा हेतु भारत से बाहर के विक्रेताओं से प्राप्त की जा सकती हैं।

ऋण सहायता के अंतर्गत यह ऋण करार 24 अगस्त 2011 को लागू हो गया है और इस करार के निष्पादन की तारीख 21 अप्रैल 2011 है। इस ऋण सहायता के तहत, परियोजना निर्यात के मामले में साख पत्र खोलने तथा संवितरण की अंतिम तारीख संविदा (संविदाएं) पूर्ण होने की निर्धारित तारीख (तारीखों) से 48 माह और आपूर्ति संविदा के मामले में करार निष्पादन की तारीख से 72 माह (20 अप्रैल 2017) होगी।

3. इस ऋण सहायता के अंतर्गत पोत लदान की घोषणा जीआर/एसडीएफ फॉर्मों में, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, जारी अनुदेशों के अनुसार करनी होगी।

उपर्युक्त ऋण सहायता के तहत कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं है। तथापि, यदि आवश्यक हो तो, निर्यातक अपने निजी संसाधनों अथवा विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते में जमा शेष राशि का उपयोग परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में कमीशन के भुगतान के रूप में कर सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। (प्रा.व्या.श्रेणी -।) बैंक संविदा मूल्य के पूर्ण भुगतान की उगाही/वसूली होने पर इस प्रकार के धनप्रेषण की अनुमति दे सकता है बशर्ते एजेंसी कमीशन के भुगतान के लिए प्रचलित अनुदेशों का अनुपालन किया जाए।

[ए.पी.(डीआईआर सीरीज)परिपत्र सं.34
14 अक्तूबर 2011]

5. आनलाइन पेमेंट गेटवेज़ द्वारा निर्यात संबंधी प्राप्तियों की प्रोसेसिंग और भुगतान (निपटान) की सुविधा - लेनदेन की राशि के मूल्य में बढ़ोत्तरी

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। (प्रा.व्या.श्रेणी ।) बैंकों का ध्यान 16 नवंबर 2010 केएपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 17 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों को उक्त परिपत्र में विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत आनलाइन पेमेंट गेटवे सेवा प्रदाताओं के साथ स्थायी व्यवस्था (के करार) के तहत निर्यात संबंधी विप्रेषणों के प्रत्यावर्तन की सुविधा का प्रस्ताव करने (देने) की अनुमति दी गयी है।

निर्यातकों द्वारा लेनदेन संबंधी 500 अमरीकी डालर के मूल्य में उचित वृध्दि करने के प्राप्त अनुरोधों के संबंध में मौजूदा अनुदेशों की समीक्षा की गयी है । तदनुसार अब यह निर्णय लिया गया है कि आनलाइन पेमेंट गेटवे सेवा प्रदाताओं के मार्फत प्राप्त निर्यात विप्रेषणों के प्रति लेनदेन के 500 अमरीकी डालर के मूल्य को बढ़ाकर 3000 अमरीकी डालर कर दिया जाए । पुनरीक्षित निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

ए.पी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.35
14 अक्तूबर 2011

6. विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के तहत किसी मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में खाता खोलना - उदारीकरण

प्राधिकृत व्यापारी बैंकों का ध्यान समय-समय पर यथा संशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना फेमा-14/2000-आरबी अर्थात् विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2000 के साथ पठित समय समय पर यथा संशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा 5/2000-आरबी अर्थात विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 की अनुसूची 2 के पैराग्राफ 2 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर नामित अनुमत मुद्राओं (करेंसी) में निधियां विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के तहत खाते में जमा के रूप में स्वीकार की जा सकती हैं। संप्रति पौंड स्टर्लिंग, अमरीकी डालर, जापानी येन, यूरो, कनाडा के डालर और आस्ट्रेलिया के डालर रिज़र्व बैंक द्वारा एतदर्थ नामित मुद्राएं हैं।

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत व्यक्तियों को उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा करने के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के तहत किसी भी मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में खाता खोलने की अनुमति दी जा सकती है। समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि भारत में प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को एफसीएनआर (बी) खाते में किसी भी अनुमत मुद्रा में जमाराशियां स्वीकार करने की अनुमति दी जाए। इस संबंध में यह नोट किया जाए कि इस प्रयोजन के लिए 'अनुमत मुद्रा' का अर्थ उस विदेशी मुद्रा से है जो मुक्त रूप में परिवर्तनीय है जैसाकि समय समय पर यथा संशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना फेमा सं. 14/2000-आरबी के विनियम 2 (v) में परिभाषित है।

[ए.पी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.36, 19 अक्तूबर 2011]

7. (i) स्थायी रूप से भारत में निवास करने के लिए लौटे अनिवासी भारतीयों की विदेश में हुई आय एवं विदेश स्थित उनकी परिसंपत्तियों की बिक्री से हुई आमदनी का प्रत्यावर्तन (ii) उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत विप्रेषणों द्वारा विदेशों से हुई आय और विदेश में अर्जित परिसंपत्तियों की बिक्रीगत आमदनी का प्रत्यावर्तन - स्पष्टीकरण

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत व्यक्तियों को सुलभ सुविधाओं की समीक्षा करने के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि इस आशय का स्पष्टीकरण देने की जरूरत है कि भारत में स्थायी निवास के लिए लौटे अनिवासी भारतीयों की विदेश में हुई आय तथा विदेश स्थित परिसंपत्तियों की बिक्रीगत आमदनी तथा उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत विप्रेषित राशि से विदेश में हुई आय और विदेश में अर्जित परिसंपत्तियों की बिक्रीगत आमदनी को प्रत्यावर्तित करने की आवश्यकता नहीं है।

तदनुसार, इसे निम्नवत स्पष्ट किया जाता है:

(क) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा (6) की उप धारा 4 के अनुसार भारत में निवास करने वाला कोई व्यक्ति भारत से बाहर विदेशी मुद्रा (करेंसी), विदेशी प्रतिभूति या अचल संपत्ति को धारण कर सकता है, स्वामित्व में ले सकता है, का अंतरण कर सकता है अथवा उसमें **निवेश** कर सकता है यदि ऐसी विदेशी मुद्रा (करेंसी), प्रतिभूति या संपत्ति का अर्जन, धारण, स्वामित्व में लेना उस व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर निवास के दौरान किया गया हो या भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति से उसे ये उत्तराधिकार में प्राप्त हुई हों।

(ख) उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत किए गए निवेश से हुई आय को विदेश में रख सकता है या पुनर्निवेश कर सकता है।

[ए.पी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.37
19 अक्तूबर 2011]

8. मुद्रा परिवर्तन गतिविधियों को विनियमित करने वाले अनुदेशों का ज्ञापन - भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेशी मुद्रा काउंटरों का स्थान

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंकों, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - II एवं संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों द्वारा भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर घरेलू टैरिफ (शुल्क) क्षेत्र से बाहर खोले गये विदेशी मुद्रा विनियम काउंटरों (पूर्ण शाखाएं/विस्तार पटल) के अनुपालन से संबंधित समीक्षा करने पर निम्नवत निर्णय लिया गया है :-

(क) अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के आगमन हाल में सीमा शुल्क डेस्क (ग्रीन चैनल/रेड चैनल) के बाद आदर्श रूप में विदेशी मुद्रा विनियम काउंटर स्थापित किए जा सकते हैं। हालंकि भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में पारगमन (इमीग्रेशन) डेस्क और सीमा शुल्क डेस्क के बीच में भी विदेशी मुद्रा विनियम काउंटर स्थापित किए जा सकते हैं बशर्ते इन काउंटरों पर केवल विदेशी मुद्रा की खरीद तथा भारतीय रुपए की बिक्री की जाए तथा मुद्रा परिवर्तक ग्राहकों को अनिवार्यतः ''नकदीकरण प्रमाणपत्र'' जारी किए जाएं।

(ख) इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के प्रस्थान हाल में सीमा शुल्क डेस्क या पारगमन डेस्क में से जो भी पहले हो, उससे पहले विदेशी मुद्रा विनियम काउंटर स्थापित किए जाएंगे। इस काउंटरों पर यात्रियों को स्मरण कराने के लिए उचित डिस्प्ले दर्शाया जाए कि अनिवासी व्यक्ति भारतीय रुपए को यहीं तक अपने पास रख सकते हैं, एतदर्थ हवाई अड्डा प्राधिकरण/प्राधिकारियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जाए।

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंकों, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। एवं संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों के विदेशी मुद्रा विनियम काउंटर जो उक्त अनुदेशों के अनुसार नहीं हैं, वे उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार अपने काउंटरों को सही स्थान पर अधिकतम **31 दिसंबर 2011** तक स्थापित करें।

[ए.पी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.38,
25 अक्तूबर 2011]